संख्या-21/2022/2065469/12-5002(099)/7/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 26 मार्च, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0102-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.60/रा.40-के.$रा0) योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में उपलब्ध प्राविधान के सापेक्ष हो रही बचत से **धन अन्तरण हेतु पुनर्विनियोग प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/पी0के0वी0वाई0/353/2021-22, दिनांक 11-03-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0102-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (के.60/रा.40-के.$रा0) योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में उपलब्ध प्राविधान के सापेक्ष हो रही बचत से रू.549.972 लाख अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2402-मृदा एवं जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण- 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8907-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना में रू0 549.972 लाख (रूपया पांच करोड़ उन्चास लाख सत्तानबे हजार दो सौ मात्र) का पुनर्विनियोग **संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।**

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आप द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना से आच्छादित अवमुक्त केन्द्रांश राज्य के समेकित निधि में जमा है।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

8- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

9- स्वीकृत धनराशि का अपने स्तर से कोषागार से एकमुश्त आहरण कर एस0एन0ए0 के खाते के माध्यम से धनराशि का अन्तरण जनपद स्तर पर इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी को किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आर.ई. संख्या-545 , दिनाँक 21-03-2022 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को गली-भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य कल्याण विभाग (कृषि)

प्रपत्र सी(एफ)-8

धनराशि लाख रुपए में

वित्तीय वर्ष 2021-22				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन प्रपत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शीर्ष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-01केन्द्र प्रायोजित योजनार्थ-0102 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना					
2402 102 01 0102					
04-यात्रा व्यय	3.600	0.320	0.320	0.320	3.280
08-कार्यालय व्यय	3.600	3.415	3.415	3.415	0.185
11-लेखन सामग्री	3.600	2.923	2.923	2.923	0.677
15-गाड़ी अनुरक्षण	3.600	0.660	0.660	0.660	2.94
27-सब्सिडी	1252.800	372.571	372.571	372.571	880.229
42-अन्य व्यय	528.164	121.299	121.299	121.299	406.865
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	110.880	45.905	45.905	45.905	64.975
46-कम्प्यूटर क्रय	1.800	0.600	0.600	0.600	1.200
58-आउटसोर्सिंग सेवायें हेतु भुगतान	3.600	2.280	2.280	2.280	1.320
कुल योग-	1911.644	549.972	549.972	549.972	1361.671

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)					
7	8	9	10	11	12
2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8907-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना.	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
2402 102 01 8907					
04-यात्रा व्यय	0	0.320	0.320	0.320	0.320
08-कार्यालय व्यय	0	3.415	3.415	3.415	3.415
11-लेखन सामग्री	0	2.923	2.923	2.923	2.923
15-गाड़ी अनुरक्षण	0	0.660	0.660	0.660	0.660
27-सब्सिडी	0	372.571	372.571	372.571	372.571
42-अन्य व्यय	0	121.299	121.299	121.298	121.298
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0	45.905	45.905	45.905	45.905
46-कम्प्यूटर क्रय	0	0.600	0.600	0.600	0.600
58-आउटसोर्सिंग सेवायें हेतु भुगतान	0	2.280	2.280	2.280	2.280
कुल योग-	0	549.972	549.972	549.972	549.972

1. स्तम्भ-3 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से बचत हो रही है:-

अ- केन्द्र पुरोनिधानित योजना में भारत सरकार के निर्देशों के रूप में योजना का संचालन पी0एफ0एम0एस0 से किये जाने के फलस्वरूप नामनृजित लेखाशीर्षक में राज्यांश का प्रावधान करवाये जाने के कारण बचत है।

2. स्तम्भ-6 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

अ- भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के रूप में योजना का संचालन हेतु भुगतान पी0एफ0एम0एस0 से किये जाने के फलस्वरूप नामनृजित लेखाशीर्षक में केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश का प्रावधान करवाये जाने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपयुर्क्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संo : अ0स0ई0/ 545 दिनांक- 21-03-2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रशासकीय विभाग

वित्त विभाग

(अमर चन्द)
अनु सचिव।

(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधि
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
8- गार्ड बुक।

अ

(अ

अ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।